आयोजनागत / पुनर्विनियोग
संख्याः198 / XXV ।।।(1)–59 / 2004

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एंव यूनानी सेवायें,
उत्तरांचल,देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनःदिनांक २५ फरवरी,2005

विषयः केन्द्र पुरोनिधानित (शत–प्रतिशत) योजना सी0एम0ई0 हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः11654 / एस.एन.डी. / 2004–05 दिनांक 23.12.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 में संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र के अनुसार केन्द्र पुरोनिधानित (शत–प्रतिशत) सी0एम0ई0 योजना हेतु कुल रू. 4.00 लाख (रू. चार लाख मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त धनराशि को संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्रानुसार तत्काल संबंधित अधिकारियों को अवमुक्त कर दिया जाय ताकि वर्णित धनराशि व्यय समय से हो सके।

3. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में उल्लिखित धनराशि संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र के कॉलम–5 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों को सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा तथा पुनर्विनियो प्रपत्र कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः304 / वि0अनु0–2 / 2005 दिनांक 09.02.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नःपुनर्विनियोग प्रपत्र।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव।

संख्याः198(1) / XXV।।।(1)–59 / 2004तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–2
4. गार्ड फाईल / एन.आई.सी.

आज्ञा से,

(अतर सिंह)

उप सचिव।